

राजस्थान सरकार  
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प. 15(7)ज0सं0/2015(2)

जयपुर, दिनांक: 27.10.15

:: आदेश ::

नियमित डीपीसी की बैठकें सम्पन्न नहीं होने के कारण इस विभाग के आदेश दिनांक 28.09.13 के द्वारा विभाग के सहायक अभियंताओं को अधिशाषी अभियंता के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत पातेय वेतन पर पदस्थापित किया गया था। अधिशाषी अभियंता (सिविल) की वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के लिये डीपीसी की बैठक सम्पन्न होने के उपरांत जिन सहायक अभियंताओं की अधिशाषी अभियंता पद पर नियमित पदोन्नति नहीं हो पाई, उनको आदेश दिनांक 30.06.15 के द्वारा अग्रिम पदस्थापन आदेशों की प्रतिक्षा में किया गया तथा इनके मूल पद (सहायक अभियंता) पर पदस्थापित किया गया है। इस आदेश के विरुद्ध श्री प्रकाश चन्द मीणा व अन्य के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर में एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन 9479/2015 दायर की गई। इस याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.08.15 एवं 12.10.15 की पालना में प्रार्थियों को अधिशाषी अभियंता के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यकारी व्यवस्था में पातेय वेतन पर निम्नानुसार पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदस्थापन स्थान
1.	श्री प्रकाश चंद मीणा	अधि0अभि0, जल संसाधन जिला परिषद, सीकर
2.	श्री मोहन लाल मीणा	अधि0अभि0, जल संसाधन जिला परिषद, बाडमेर
3.	श्री रघुवीर सहाय मीणा	अधि0अभि0, जल संसाधन जिला परिषद, झुन्झुनू
4.	श्री घनश्याम मीणा	अधि0अभि0, जल संसाधन जिला परिषद, भरतपुर

उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटीशन 9479/2015 में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होंगे।

आज्ञा से,  
SD  
(पंकज ओझा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल संसाधन, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति सभी संबंधित को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।
4. संबंधित अधिकारी
5. रक्षित पत्रावली।

SD  
27.10.15  
शासन सहायक सचिव


**कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक- 320

दिनांक- 28.10.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करावे :-

1. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर.
2. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सी0ए0डी0(पूर्व), जयपुर/जल संसाधन सम्भाग, कोटा.
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, जयपुर.
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर/बाडमेर/झुन्झून/भरतपुर.
5. श्री.....
6. निजी पत्रावली

  
अधीक्षक अभियन्ता एवं प्रा0स0  
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,  
राजस्थान, जयपुर